प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक:- 04.10.2026

थाना चौरी पु लस द्वारा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला अ भयुक्त गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

दिनांक 26.05.2026 को वादी परवेज आलम के भतीजे मो0 आरिफ (उम्र लगभग 18 वर्ष) को परसीपुर रेलवे स्टेशन के पास स्कूल के पुराने ववाद को लेकर अ भयुक्तों द्वारा चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया था तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस सम्बन्ध में थाना चौरी पर मु0अ0स0 77/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1), 191(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कर ववेचना प्रच लत थी।

गरफ्तारी का ववरण:-

श्री अ भनव त्यागी, पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 03.10.2026 को थाना चौरी पु लस टीम द्वारा मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले अ भयुक्त को गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अ भयुक्त का ववरण:-

सदरे आलम उर्फ शाबे आलम पुत्र स्व० बाबा मंसूरी उर्फ शकील मंसूरी, निवासी- सारीपट्टी, थाना चल्ह, जनपद मर्जापुर।

हाल पता- ननिहाल (नाना जलील पुत्र स्व० सुबराती), निवासी- ग्राम पल्हैया, थाना चौरी, जनपद भदोही (उम्र 18 वर्ष)।

गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-

1. उ0नि0 नथुनी संह (ववेचक), थाना चौरी, जनपद भदोही
2. उ0नि0 सुशील संह, थाना चौरी, जनपद भदोही
3. हे0का0/का0 बृजेश यादव, थाना चौरी, जनपद भदोही
4. का0 उत्कर्ष संह, थाना चौरी, जनपद भदोही।